

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—मेजा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-104/2013 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- 1-श्री लक्ष्मण पिता फत्ता भील, उम्र बालिग निवासी चतरपुरा (भादू) तहसील मांडल
2-श्री भैरू पिता फत्ता भील, उम्र बालिग निवासी चतरपुरा (भादू) तहसील मांडल
3-पन्ना लाल गोदपुत्र पेमा भील, उम्र बालिग निवासी चतरपुरा (भादू) तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादीगण

बनाम

- 1-श्री नारायण पिता देबी भील, उम्र बालिग निवासी चतरपुरा (भादू) तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
-----प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से — एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या
1 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक
13.5.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया
जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्च लेखों
प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने असफल रहने के कारण
वाद पत्र खारीज किया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(देवीसिंह सिंघेत)

पिकार0ए0एस0गरी

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.5.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,

मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं

प्रदेन सहायक कलक्टर मांडल